विविध बैंक प्रकरण सं0 28/2018(RCMS : 2018/00043) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा केसरीसिंहपुर जरिये आरआरएल. कलस्टर, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स धन विश्वकर्मा मैकेनिकल वर्क्स, महेन्द्र सिंह एवं भगवान दास

20.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री नीरज अग्रवाल का लिखित में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र बैंक के अभिभाषक की ओर से श्री जितेन्द्र सरपाल, अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए इसी स्तर पर स्तर पर खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा केसरीसिंहपुर के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा मैसर्स धन विश्वकर्मा मैकेनिकल वर्क्स, महेन्द्र सिंह एवं भगवान दास के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत भूखण्ड संख्या 122 (उत्तरी भाग), स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी, वार्ड नम्बर 10, कमीनपुरा रोड, केसरीसिंहपुर (फरीदसर) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी नीरज गोयल द्वारा लिखित में प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए वे अब इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यदि इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर